मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०२४ है. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) की धारा १२ का लोप किया जाए. धारा १२ का लोप.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष को राज्य सरकार द्वारा देय आयकर की सुविधा से संबंधित उपबंध का लोप किया जाना प्रस्तावित है. अतएव, मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १२ नवम्बर, २०२४.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) से उद्धरण.

* * * * *

धारा १२- इस अधिनियम के अधीन नेता प्रतिपक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत् और किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत् जो नेता प्रतिपक्ष को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, नेता प्रतिपक्ष से आयकर नहीं लिया जाएगा और वह आयकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. नेता प्रतिपक्ष को देय उक्त भत्तों तथा परिलब्धियों से प्रोद्भूत आय की कुल रकम में से, समय-समय पर अनुज्ञेय आयकर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हो, घटाई नहीं जाएगी.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.